

1  
न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर : दावा/142/2022

1. मंगेज सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जालसू कलॉ, तहसील डेगाना जिला नागौर वर्तमान निवासी जयपुर राजस्थान।

- वादी -

बनाम

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी 1 गायत्री नगर रामराजपुरा सोडाला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा इंद्राज दुरुस्ती  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

व

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11  
सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय -

दिनांक : 31.07.2023

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी ने मिथ्या व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 237/394 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा, जो पूर्व जगदीश सिंह पुत्र पेप सिंह जाति राजपूत निवासी सांझरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम दर्ज थी जगदीश सिंह द्वारा दिनांक 02.11.1970 को अपनी सम्पूर्ण भूमि में से 20 बीघा भूमि कल्याण सिंह को विक्रय कर दी। ओर उसी दिन 20 बीघा भूमि मंगेज सिंह/वादी को विक्रय कर दी जिसका विवरण विक्रय पत्र दिनांक 02.11.1970 में है। ओर मंगेज सिंह/वादी बतौर गवाह है। इसलिये जगदीश सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि की सम्पूर्ण जानकारी वादी को दिनांक 02.11.1970 को थी। कल्याण सिंह ने 20 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.60 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी। जिसकी जानकारी भी मंगेज सिंह को है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी क्यशुदा भूमि हाल खसरा नंबर 753/1329 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा नंबर 754/1330 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय



0.60 हैक्टयर पर काबिज काशत है। बराये बदनियत वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अनावश्यक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से उक्त वाद बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया है दिनांक 01.10.2022 व दिनांक 19.10.2022 के कथनाक मिथ्या बनावटी मनगढन्त एवं वाद कारण दर्ज करने के उद्देश से दर्ज कर यह वाद बिना किसी वाद कारण के प्रस्तुत किया है जो बिना कॉल ऑफ एक्सन उत्पन्न हुये दर्ज किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी को वाद अधीन भूमि के उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी पूर्व से क्रय दिनांक से रही है। वादी का वाद अधीन भूमि में कोई कब्जा काशत नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करते समय वादी का कब्जा होना आवश्यक है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। वादी द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष क्लिन हैण्ड से उक्त वाद प्रस्तुत नहीं किये जाने से काविले खारिज योग्य है। उपरोक्त दावा बिना **substantial cause of action, grossly delay and clearly vexatious and frivolous** होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 सीपीसी में खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.09.1970 जो सब रजिस्ट्रार सांगानेर द्वारा दिनांक 22.09.1970 को पंजीकृत किया गया है, जिसके आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 47 तसहीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा स्वीकार कर तस्दीक किया गया है जिसका अमल दरामद जमाबन्दी में किया गया है के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो सही व सत्य तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन सरासर झूठे अंकित किये हैं, इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या एक में कथन किया है कि साबिक खसरा नंबर 237/394 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम सांझरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काशतकार जगदीश सिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत था, उक्त भूमि में से 20 बीघा पुख्ता पश्चिम की ओर का भाग उत्तर से दक्षिण तक का हक खातेदारी व काशत मुबलिग 6000/- रुपये में वादी को दिनांक 20.09.1970 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया जिसका विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1970 को सब रजिस्ट्रार सांगानेर के यहां पंजीकृत करवाया गया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 47 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काशतकार इन्द्राज किया गया है। वादपत्र में कही भी दिनांक 02.11.1970 में 20 बीघा भूमि कल्याण सिंह को विक्रय कर दी का उल्लेख नहीं है और ना ही ऐसी कोई प्लीडिंग वाद पत्र में अंकित है और ना

सहायकी कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

ही ऐसी कोई प्लीडिंग है कि उसी दिन 20 बीघा भूमि मंगेज सिंह को विक्रय कर दी और मंगेज सिंह/वादी बतौर गवाह है। समस्त कथन प्रतिवादी संख्या 1 ने मनगढन्त लिये है, वादी के वाद पत्र में ऐसी प्लीडिंग कहीं भी अंकित नहीं है। कल्याण सिंह ने भूमि कब क्रय की, किसको बेचान की, वादपत्र में ऐसे कोई अभिवचन नहीं है। वादपत्र की मद संख्या 3 में वादी ने अभिकथन किया है कि खसरा नंबर 237/394 रकबा 20 बीघा भूमि के हाल खसरा नंबर 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 कुल कितना 9 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर बनाये गये हैं, जबकि 20 बीघा का कर्नवट एरिया 5.05 हैक्टेयर होता है इस प्रकार 0.10 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज किया है, जिसको अपने खाते में दर्ज करवाने का हक व अधिकार है तथा 20 बीघा में से 7 बीघा भूमि का बेचान वादी ने कर दिया, जिसका कोई विवाद नहीं है तथा शेष भूमि 13 बीघा रहती है, जिसका कन्वर्ट एरिया 3.28 हैक्टेयर होता है जिसकी जगह 2.58 हैक्टेयर दर्ज किया गया है तथा शेष भूमि खसरा नंबर 753/1329 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 754/1330 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल कितना 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर वादी के खसरा नंबर 753 व 754 का भाग है जो वादी की खातेदारी में से कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज कर दी, भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को ऐसा करने का कानून में कोई हक व अधिकार नहीं है, उक्त तथ्य साक्ष्य से साबित होता है, जिसके लिए वादी ने घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत किया है वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 7 व 8 में बिनाय दावा उत्पन्न होने का स्पष्ट उल्लेख किया है जो सही व सत्य है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र में तथ्य अंकित है तथा कब्जा का सबूत नामान्तरकरण संख्या 47 में भी अंकन है। इसलिए कब्जा वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि के बाहर प्रस्तुत किया है, जो निरस्तनीय है। खातेदारी घोषणा का वाद व रिकॉर्ड दुरुस्ती का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही पेश किया जाता है जो कानून सम्मत है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत केवल वाद पत्र अभिवचनो को ही देखा जाता है, जवाब दावा व प्रतिवादी के दस्तावजों को इस स्टेज पर नहीं देखा जाता है, इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि साबिक खसरा नंबर 237/394 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम सांझरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

काशतकार जगदीश सिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत था, उक्त भूमि में से 20 बीघा पुख्ता पश्चिम की ओर का भाग उत्तर से दक्षिण तक का हक खातेदारी व काशत मुबलिग 6000/- रुपये में वादी को दिनांक 20.09.1970 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया जिसका विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1970 को सब रजिस्ट्रार सांगानेर के यहां पंजीकृत करवाया गया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 47 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काशतकार इन्द्राज किया गया है। खसरा नंबर 237/394 रकबा 20 बीघा भूमि के हाल खसरा नंबर 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर बनाये गये हैं, जबकि 20 बीघा का कर्नवट एरिया 5.05 हैक्टेयर होता है इस प्रकार 0.10 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज किया है, जिसको अपने खाते में दर्ज करवाने का हक व अधिकार है तथा 20 बीघा में से 7 बीघा भूमि का बेचान वादी ने कर दिया, जिसका कोई विवाद नहीं है तथा शेष भूमि 13 बीघा रहती है, जिसका कन्वर्ट एरिया 3.28 हैक्टेयर होता है जिसकी जगह 2.58 हैक्टेयर दर्ज किया गया है तथा शेष भूमि खसरा नंबर 753/1329 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 754/1330 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर वादी के खसरा नंबर 753 व 754 का भाग है जो वादी की खातेदारी में से कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज कर दी, भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को ऐसा करने का कानून में कोई हक व अधिकार नहीं है। जिसे वादी दुरुस्त करवाकर अपने नाम घोषणा करवाने का अधिकारी है। जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का कथन की अप्रार्थी/वादी ने मनगढ़ंत व मिथ्या आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है जो बिना substantial cause of action, grossly delay and clearly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में खारिज किये जाने योग्य है।

वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 4 में ऊपर से 11वीं लाईन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है "भूमि खसरा नंबर 753/1329 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा नंबर 754/1330 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि जो वादी के खसरा नंबर 753 व 754 का भाग है, वादी को खातेदारी से कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में दर्ज कर दी।" जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2021 को जो उप-पंजीयक जयपुर सम्तम के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 702 में पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 202103021114941 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2806 के पृष्ठ संख्या 512 से 527 पर चस्पा किया गया है से स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

753/1329 व 754, 1330 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि श्री अनोप सिंह, कान सिंह, गणपत सिंह, श्रीमती गायत्री कंवर, श्री चेतन सिंह श्री बोदू सिंह, मंजू कंवर, मीरा कंवर, श्रीमती संतोष कंवर श्रीमती संतोष देवी, सीता देवी से क्रय की है। जिससे वादी के वादपत्र के पुरा संख्या 4 में अंकित कथन कि भू-प्रबंध अधिकारियों ने वादी की आराजी से 0.60 हैक्टेयर भूमि को कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में दर्ज कर दी स्वयं ही मिथ्या व मनगढन्त साबित हो जाते हैं। क्योंकि प्रार्थी/वादी एक बोनाफाईड परचेजर है और भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित नहीं की है। अप्रार्थी/वादी ने अपने वादपत्र में भी ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि खसरा नंबर 753/1329 व 754/1330 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित की गई हो। ना ही वादी ने अपने वादत्र के समर्थन में कोई मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत किया है तथा ना ही अपने वादपत्र को सिद्ध करने हेतु अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किया है। वादी का वाद इस स्थिति में अपूर्ण व अस्पष्ट व तुच्छ है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि ऐसे वाद जो अपूर्ण व अस्पष्ट व तुच्छ है को प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद Vexatious and frivolous होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय